

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 207/2020 (धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन)

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, लि. रजिस्टर्ड कार्यालय 19 ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर। पता ए. यू. स्वचायर बी 11-ई, मालवीय नगर, इन्डस्ट्रीयल एरिया, राजस्थान, जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छीतरमल

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

- जितेन्द्र सिंह पुत्र मल सिंह,
पता :- 1. बी-42, गणेश नगर-8 विस्तार, निवारु रोड, झोटवाडा, जयपुर
- प्लेट नम्बर 509, पांचवी मंजिल, "कोरल राधा कृष्णा", प्लॉट नम्बर जीएच-8, रिहायशी प्लेट स्कीम, ग्रीन त्रिवेणी, ग्राम नींदड, तहसील आमेर।
- श्रीमती ममता सिंह पत्नि जितेन्द्र सिंह
पता :- 1. बी-26, गणेश नगर-8, विस्तार, निवारु रोड, झोटवाडा, जयपुर
- प्लेट नम्बर 509, पांचवी मंजिल, "कोरल राधा कृष्णा", प्लॉट नम्बर जीएच-8, रिहायशी प्लेट स्कीम, ग्रीन त्रिवेणी, ग्राम नींदड, तहसील आमेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-

- श्री मनोज कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश


दिनांक 18.02.2021

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.03.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री जितेन्द्र सिंह एवं ममता सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नम्बर 509, पांचवी मंजिल, "कोरल राधा कृष्णा", प्लॉट नम्बर जीएच-8, रिहायशी प्लेट स्कीम, ग्रीन त्रिवेणी, ग्राम नींदड, तहसील आमेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 1116 वर्गफीट को बन्धक रखकर कुल राशि 18,90,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.11.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्र क्रमशः इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 15.11.2019 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पॉस बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

641
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 सितम्बर 2017 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 18,90,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 18,70,778/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02.11.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री जितेन्द्र सिंह एवं ममता सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नम्बर 509, पांचवी मंजिल, "कोरल राधा कृष्णा", प्लॉट नम्बर जीएच-8, रिहायशी प्लेट स्कीम, ग्रीन त्रिवेणी, ग्राम नींदड, तहसील आमेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 1116 वर्ग फीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर/पुलीस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 18.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।




 (अन्तर सिंह बेहरा)
 जिला न्यायालय
 (कलक्टर) जयपुर